कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू साउथ सिविल लाईन जबलपुर (फोन नं. / फेक्स 0761- 2678122) ई.मेल - <u>dpepiujabalpur@gmail.com</u>

ज्ञाप कमांक 4.34 / अंकेक्षक / पी.आई.यू /

जबलपुर दिनांक ..06/02/16

प्रति.

अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय. र्भ श्रीमानस्य प्रतान वाला

विषय :-

माननीय उच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन क.. 77/2016 मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालयं में S.L.P प्रस्तुत करने की अनुमित प्रदान करने बावत्।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के संबंध में लेख है कि, मेसर्स सत्या इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार जबलपुर ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में Arbitration case no. 04/2015 द्वारा याचिका दायर की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिनांक 13.04.2015 को आदेश पारित किया था। उसके विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन क. 77/2016 दायर की थी। दिनांक 03.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिव्यू पिटीशन खारिज की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता श्री अमित सेठ महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय जबलपुर से अभिमत प्राप्त किया गया। जो संलग्न है। शासकीय अधिवक्ता ने शासन के पक्ष में अपना अभिमत दिया है कि, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में S.L.P दायर की जावें। S.L.P प्रस्तुत करने की समयावधि आदेश दिनांक 03.02.2016 से 90 दिवस के भीतर है। तथा मेसर्स सत्या इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेकेदार जबलपुर Sole Arbitrator के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यथाशीघ अनुमित प्रदान करने का कष्ट करें। जो शासन के हित में होगा।

अतः प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय में S.L.P दायर अनुमित शीघ्र प्रदान करने का

सहपत्र :- 1. आदेश दिनांक 03.02.2016 की छायाप्रति। 2. शासकीय अधिवक्ता के अभिमत की छायाप्रति।

म्रंभागीय परियोजना यंत्री क्री.नि.वि.पी.आई.यू. जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर दिनांक/02/16

प्. कमांक/अंकेक्षक / पी.आई.यू. /

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी.आई.यू. लो.नि.वि. निर्माण भवन तृतीय तल अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3. जिलाध्यक्ष जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

लो.नि.वि.पी.आई.यू. जबलपुर (म.प्र.)

D:/su/WP/1/2015

R.P. No. OF 2016

PETITIONERS:

11088

- State of Madhya Pradesh through Principal Secretary, Public Works Department, Vallabh Bhawan Bhopal (M.P.).
- Project Director, PIU, MPPWD, First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.).
- 3. Additional Project Director, PWD (PIU), Jabalpur (M.P.).
- Divisional Project Engineer, Public Works Department (PIU-8), Jabalpur (M.P.).

EVANOO TOOO TOO

VERSUS

RESPONDENT:

M/s Satya Infrastructure through its Proprietor Ashwini Shrivastava, S/o Shri P.S. Shrivastava, aged about 52 years, R/o 1190-A, Pachpedi, Jabalpur (M.P.).

APPLICATION FOR REVIEW AND RECALL OF ORDER DATED 04.2015 PASSED BY THIS HON'BL E COURT IN ARBITRATION CASE NO.04/2015.

The petitioners named above, beg to submit as under:

By the order under review, this Hon'ble Court was pleased to allow the application under Section 11 (6) of the Arbitration and Conciliation Act,

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

NG FEES ONLY